Part – I

A

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre) निर्णय दिनांक – 10 मार्च, 2026 विशेष सेशन प्रकरण संख्या – 60/2023 सीएनआर संख्या – RJCH010005432023	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य विशेष लोक अभियोजक, चूरू
ACCUSED	कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 50 वर्ष निवासी आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री विनोद दनेवा, योग्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

B

Date of Offence	10.09.2020
Date of FIR	29.03.2023 (परिवाद)
Date of Chargesheet	15.04.2023 (प्रसंज्ञान)
Date of Framing of Charges	15.11.2025
Date of commencement of evidence	19.12.2025
Date on which judgment is reserved	10.03.2026
Date of the Judgement	10.03.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	कृष्ण कुमार	–	–	धारा 18 सी सपठित 27(B)(II), 18 ए सपठित 28 तथा 22(1)(cca) सपठित 22(3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940	दोषमुक्त	–	–

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)

PW. 1	मनोज कुमार गढ़वाल	औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू व परिवाद प्रस्तुतकर्ता
PW. 2	चन्द्रकान्त शर्मा	औषधि नियंत्रण अधिकारी व निरीक्षण दल के सदस्य
PW. 3	अमित कुमार शर्मा	औषधि नियंत्रण अधिकारी व निरीक्षण दल के सदस्य
PW. 4	हरीश कुमार जांगिड़	शिकायतकर्ता
PW. 5	डॉ० ऐश्वर्या चौधरी	निरीक्षण दल की सदस्य

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	गजट नोटिफिकेशन (औषधि निरीक्षक नियुक्ति)
2	प्रदर्श पी–2	पदस्थापन आदेश
3	प्रदर्श पी–3	डाक रसीद (नोटिस)
4	प्रदर्श पी–4	औषधि परीक्षण रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी–5	औषधि परीक्षण रिपोर्ट
6	प्रदर्श पी–6	डाक रसीद
7	प्रदर्श पी–7	नोटिस
8	प्रदर्श पी–8	रजिस्टर्ड डाक रसीद
9	प्रदर्श पी–9	नोटिस दिनांक 02.11.2021
10	प्रदर्श पी–10	डाक रसीद
11	प्रदर्श पी–11	डाक विभाग डिलिवरी स्टेटस
12	प्रदर्श पी–12	औषधि नियंत्रक को भेजा गया प्रस्ताव
13	प्रदर्श पी–13	सहायक औषधि नियंत्रक की अनुशंसा
14	प्रदर्श पी–14	न्यायिक अनुदेश हेतु पत्र
15	प्रदर्श पी–15	अभियोजन स्वीकृति आदेश

16	प्रदर्श पी–16	परिवाद
17	प्रदर्श पी–17	पत्रांक 1213–14 दिनांक 27.08.2020
18	प्रदर्श पी–18	सहायक औषधि नियंत्रक का पत्र
19	प्रदर्श पी–19	मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पत्र
20	प्रदर्श पी–20	मौका रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट
21	प्रदर्श पी–21	जब्ती मेमो (फॉर्म 16)
22	प्रदर्श पी–22	फॉर्म 17 (नमूना 1)
23	प्रदर्श पी–23	फॉर्म 17 (नमूना 2)
24	प्रदर्श पी–24	फॉर्म 17 (नमूना 3)
25	प्रदर्श पी–25	नमूना खरीद बिल
26	प्रदर्श पी–26	अभिरक्षा आवेदन
27	प्रदर्श पी–27	न्यायालय का अभिरक्षा आदेश
28	प्रदर्श पी–28	अभियुक्त को जारी नोटिस
29	प्रदर्श पी–29	औषधि नियंत्रक को रिपोर्ट
30	प्रदर्श पी–30	नोटिस की डाक रसीद
31	प्रदर्श पी–31	मेमोरेण्डम फॉर्म
32	प्रदर्श पी–32	मेमोरेण्डम फॉर्म
33	प्रदर्श पी–33	मेमोरेण्डम फॉर्म
34	प्रदर्श पी–34	नमूना अग्रेषण पत्र
35	प्रदर्श पी–35	नमूना अग्रेषण पत्र
36	प्रदर्श पी–36	नमूना अग्रेषण पत्र
37	प्रदर्श पी–37	प्रयोगशाला को पत्र
38	प्रदर्श पी–38	नमूना पैकेट
39	प्रदर्श पी–39	नमूना पैकेट
40	प्रदर्श पी–40	नमूना पैकेट
41	प्रदर्श पी–41	नमूना पैकेट
42	प्रदर्श पी–42	नमूना पैकेट
43	प्रदर्श पी–43	नमूना पैकेट
44	प्रदर्श पी–44	कार्टून पर चस्पा चिट
45	प्रदर्श पी–45	कार्टून पर चस्पा चिट

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	आर्टिकल 1 व 2	NICIP–MD टैबलेट स्टीप
2	आर्टिकल 3 व 4	OFTRIOL–200 टैबलेट स्टीप
3	आर्टिकल 5 व 6	NORFLOKEM–400 टैबलेट स्टीप
4	आर्टिकल 7 व 8	जब्तशुदा औषधियों का कार्टून

– <u>नि र्ण य</u> –

<u>दिनांक – 10 मार्च, 2026</u>

(1) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवाद औषधि नियंत्रण अधिकारी मनोज कुमार गढ़वाल ने इस आशय का पेश किया है कि सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू के पत्रांक 1020–21 दिनांक 27.08.2020 से प्राप्त शिकायत के अनुपालन में औषधि नियंत्रण अधिकारी चन्द्रकान्त शर्मा ने औषधि नियंत्रण अधिकारी अमित कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. ऐश्वर्या चौधरी एवं स्वतन्त्र गवाह हरिश कुमार जांगिड़ की उपस्थिति में दिनांक 10.09.2020 को ग्राम आसपालसर मुगलेरा, तहसील सरदारशहर स्थित अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अभियुक्त मौके पर उपस्थित मिला, जिसने उक्त परिसर को किराये पर लेना बताया, किन्तु किरायेनामा अथवा अन्य कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा पहचान के लिए आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर में विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक औषधियां विक्रयार्थ प्रदर्शित एवं संग्रहित पाई गई, किन्तु अभियुक्त द्वारा औषधियों के संग्रहण, विक्रय एवं वितरण हेतु कोई वैध औषधि अनुज्ञा पत्र अथवा क्रय–विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर नियमानुसार औषधि **NICIP–MD (Nimesulide Mouth Dissolving Tablets 100 mg), OFTRIOL–200 (Ofloxacin Tablets IP 200 mg) एवं NORFLOKEM–400 (Norfloxacin Tablets IP 400 mg)** के नमूने फार्म–17 में प्रविष्ट कर मूल्य रुपये 148 देकर लिये गये तथा उन्हें चार–चार भागों में विभाजित कर सीलबन्द किया गया, जिनमें से एक–एक भाग अभियुक्त को सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त परिसर में पाई गई अन्य एलोपैथिक औषधियों को भी नियमानुसार फार्म–16 के तहत जब्त कर सीलबन्द किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द तैयार कर उसकी प्रति अभियुक्त को प्रदान की गई।

(2) परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त नमूनों को मेमो के माध्यम से राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को परीक्षण हेतु भेजा गया, जिनकी रिपोर्ट क्रमांक 1664/2021–2022 दिनांक 14.07.2021, 1622/2021–2022 दिनांक 13.07.2021 एवं 2661/2021–2022 दिनांक 09.09.2021 द्वारा नमूनों को मानक कोटि का पाया गया। तत्पश्चात

अभियुक्त को नोटिस भेजकर औषधियों के क्रय बिल एवं स्रोत के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में सक्षम प्राधिकारी औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने पर यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया आदि आदि तथ्यों के परिवाद का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 15.04.2023 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर हुआ।

(3) इस न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 18 सी सपठित 27(B)(II), 18 ए सपठित 28 तथा 22(1)(cca) सपठित 22(3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आरोप अलग से विरचित कर सुनाए व समझाए गया तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(4) अभियोजन पक्ष द्वारा उपर्युक्त सारणी में वर्णितानुसार पाँच गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा 45 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये।

(5) अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उसने स्वयं को झूठा फँसाया जाना कथन किया। अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया लेकिन उसकी ओर से किसी भी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

(6) प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं –

1. **क्या अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 10.09.2020 को ग्राम आसपालसर मुगलेरा, तहसील सरदारशहर स्थित परिसर में अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा बिना वैध औषधि अनुज्ञा पत्र के एलोपैथिक औषधियों का विक्रयार्थ प्रदर्शन, भण्डारण एवं संग्रहण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान एवं उसके पश्चात् विधिसम्मत नोटिसों के बावजूद जब्तशुदा औषधियों के क्रय–विक्रय स्रोत, बिल, स्टॉक विवरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(c), 18(A) एवं 22(1)(cca) का उल्लंघन कर क्रमशः धारा 27(b)(ii), 28 एवं 22(3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया ?**
2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्त को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – एक</u>

(7) सर्वप्रथम इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिन गवाहान को परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य का विवेचन किया जाना उचित निम्न प्रकार से हैं:–

(8) अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.1 मनोज कुमार गढ़वाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.01.2021 से वह औधषी नियंत्रण अधिकारी, चूरू के पद पर तैनात हूँ। वह राजस्थान राज्य के लिए विधिवत नियुक्त निरीक्षक है, जिसकी अधिसूचना जारी की हई है व अभियोग दायर करने के लिए

प्राधिकृत हैं जिसके लिए भी राजस्थान सरकार के आदेश जारी किए हुए हैं। उसके गजट नोटिफिकेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रदर्श पी 1ए है. जिस पर ए से बी उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर हैं, जिसके क्रम संख्या 23 पर उसका नाम अंकित है। उसके चूरू पदस्थापन का आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 2ए है, जिसके कम संख्या 120 पर उसका नाम अंकित है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर हैं।अभियुक्त कृष्ण कुमार को जारी नोटिस दिनांक 19.08.2021 की डाक रसीद प्रदर्श पी 3 है. जिस पर ए से वी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। नमूना ली गई औषधियों की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 व 5 है। प्रदर्श पी 5 पर ए से बी स्थान पर उसके प्राप्ती के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 3 की डाक रसीद पी 6 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त कृष्ण कुमार को रिपोर्ट भेजने का दिनांक 10.06.2022 को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 7 रजिस्टर्ड डाक से भेजने की डाक रसीद प्रदर्श पी 8 है. जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। कृष्ण कुमार को दिनांक 02.11.2021 को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी 10 है. जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त कृष्ण कुमार को डाक डिलिवर होने का डाक विभाग से जारी स्टेटस प्रदर्श पी 11 है. जिस पर ए से बी स्थान पर उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रकरण में अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही हेतु औषधि नियंत्रक राजस्थान को प्रेषित प्रस्ताव प्रदर्श पी 12 है. जो कुल दो पृष्ठों में है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। सहायक औषधि नियंत्रक चूरू द्वारा प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही के लिए की गई अनुशंषा पत्रांक प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी स्थान पर संजय पारीक, सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12–12–22 को वह मुख्यालय जयपुर में प्रकरण में न्यायिक अनुदेश हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसका पत्र प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही करने हेतु दिया गया प्रस्ताव प्रदर्श.पी.15 है जिस पर ए से बी राजाराम शर्मा नियंत्रक प्राधिकारी एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान के हस्ताक्षर हैं। न्यायालय में उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रदर्श पी 16 परिवाद पेश किया गया था जिसके साथ सूची दस्तावेजात, सूची गवाहान सूची माल संलग्न है। अपनी **जिरह** में कथन किया है कि मौके की कार्यवाही चन्द्रकान्त शर्म औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा की गई थी। उसके द्वारा प्रकरण में बाद में औपचारिक कार्यवाही की गई थी। उसके द्वारा अभियुक्त को नोटिस बाबत मोबाईल द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। यह कहना सही है कि अभियुक्त के मोबाईल नम्बर फाईल में उसके पास उपलब्ध थे।

(9) पी.डब्ल्यू. 2 चन्द्रकान्त शर्मा ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2020 को वह औषधि नियन्त्रण अधिकारी, चूरू के पद पर पदस्थापित था। उसके

द्वारा श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू को प्रेषित पत्र कमांक 1213–14 दिनांक 27.08.2020 प्रदर्श पी 17 है। सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू का पत्र कमांक 1020–21 दिनांक 27 08.2020 प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 18 पर सी से डी स्थान पर उसके प्राप्ती के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र द्वारा उसे शिकायती जाँच हेतु निर्देशित किया गया था। श्रीमान् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू का पत्र कमांक 630 दिनांक 09.09.2020 की प्रति प्रदर्श पी 19 है। दिनांक 10.09.2020 को वह सहायक औषधि नियंत्रक , चूरू के पत्र कमांक 1020–21 दिनांक 27.08.2020 व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. चूरू के पत्र क्रमांक 630 दिनांक 09.09.2020 की पालना में श्री अमित कुमार शर्मा, औषधि नियंत्रक अधिकारी, चूरू व डॉक्टर ऐश्वर्या चौधरी, चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त शिकायती जाँच हेतु सरदारशहर में बापा सेवा सदन स्कूल के पास, बीकानेर रोड़ के नजदीक, सुबेदार कुए के पास उपस्थित हुए। उस समय उसके द्वारा शिकायतकर्ता हरीश जाँगिड़ से सम्पर्क कर उसे शिकायत के सम्बन्ध में जाँच हेतु मौके पर बुलाया गया व उसके बताये गये अनुसार उस स्थान पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर संयुक्त रूप से उपस्थित हुए। उस मेडिकल स्टोर पर उपस्थित व्यक्ति कृष्ण कुमार को टीम ने अपना परिचय देते हुए जाँच का उद्देश्य बताया। मौके पर उक्त परिसर में विभिन्न प्रकार की ऐलौपेथिक औषधियां रेक्स पर विक्रयार्थ संग्रहित पायी गई, जिसके सम्बन्ध में कृष्ण कुमार से आवश्यक औषधि अनुज्ञा पत्र व औषधियों के कय बिल, कहां से कय की गई, के सम्बन्ध में सूचना चाहे जाने पर कृष्ण कुमार द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये। पूछे जाने पर कृष्ण कुमार ने उक्त परिसर श्री मेघराज से किराये पर लेना बताया गया। कृष्ण कुमार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों का उलंघन करना पाये जाने पर मौके पर उक्त परिसर में पायी गई औषधियों में से तीन औषधियों के नमूने नियमानुसार फॉर्म 17 में अंकित कर जरिए नगद प्राप्त कर लिए गए बाकी बधी समस्त 58 तरह की औषधियों को दो गत्ते के कार्टून में डालकर पैक कर सील मोहर किया गया। मौका रिपोर्ट तीन पेज में तैयार की गई. जो प्रदर्श पी 20 है। मौके पर तैयार जब्ती मैमो प्रदर्श पी 21 है, जो कि कुल 6 पृष्ठों में है.। मौका पर बनाया गया फॉर्म 17 कुल तीन पृष्ठों में है, जो कमशः प्रदर्श पी 22. 23 व 24 हैं। प्रदर्श पी 22, 23 व 24 के पृष्ठ भाग पर नमूना लिए जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभियुक्त कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर हैं। मौके पर नमूना लिए जाने का बिल प्रदर्श पी 25 है। जब्तशुदा औषधियों की अभिरक्षा हेतु दिनांक 11.09.2020 को उसके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू के समक्ष पेश आवेदन प्रदर्श पी 26 है। न्यायालय द्वारा जारी अभिरक्षा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 27 है। अभियुक्त कृष्ण कुमार को उसके द्वारा जारी नोटिस कमांक 1296–98 प्रदर्श पी 28 है। की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उसके द्वारा

श्रीमान् औषधि नियंत्रक राजस्थान को भेजी गई, जो प्रदर्श पी 29 है। पत्र की प्रति सहायक औषधि नियंकत्र चूरू व अमित कुमार शर्मा को भी पृष्ठकित की गई। अभियुक्त कृष्ण कुमार को प्रेषित नोटिस की मूल बाक रशीय प्रदर्श पी 30 है। मौके पर लिए गए नमूने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर को जरिए मेगीरेडम फॉर्म 18 द्वारा निजवाये गये थे, जो कि क्रमश प्रदर्श पी 31. 32 0 33 हैं। इनका अग्रेषित पत्रांक प्रदर्श पी 34. 35 . 36 है। राजकीय विश्लेषक द्वारा नमूने प्राप्त करने का अंकन प्रदर्श पी 34. 35 व 30 पर है। औषधि परीक्षाण प्रयोगशाला जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 00.10.2020 प्रदर्श पी 37 है। प्रकरण के वजह सबूत नमूने हेतु लिए गए तीन औषधियों के दो–दो शील्वशुदा पैकेट तथा दो सील्डशुदा कार्टून न्यायालय में पेश हुए, जो बाच न्यायालय ईजाजत खोले गए। नमूने हेतु ली गई औषधि में से नमूना संख्या CUR/2020/CK/Sept/01 औषधि निशिप एमडी जिसमें प्रत्येक लिफाफे में कुल 50–50 टेबलेट हैं, जो लिफाफे प्रदर्श पी 38 व 39 हैं। उक्त लिफाफों में बली हुई टेबलेट के स्टीप/पते आर्टिकल 01 व 02 हैं। नमूने हेतु ली गई औषधि में से नमूना संख्या CUR/2020/CK/Sept/02 औषधि ओफ्टीसेल–200, जिसमें प्रत्येक लिफाफे में कुल 50–50 टेबलेट है, जो लिफाफे प्रदर्श पी 40 व 41 हैं। उक्त लिफाफों में खली हुई टेबलेट के स्टीप/पते आर्टिकल 03 4 04 है। नमूने हेतु ली गई औषधि में से नमूना संख्या CUR/2020/CK/Sept/03 औषधि नोरफ्लोकेम –400, जिसमें प्रत्येक लिफाफे में कुल 50–50 टेबलेट हैं, जो लिफाफे प्रदर्श पी 42 व 43 हैं। उक्त लिफाफों में डली हुई टेबलेट के स्टीप /पते आर्टिकल 05 व 06 हैं। जब्तशुदा औषधियां जिन कार्टून में डालकर सील मोहर की गई थी, उक्त कार्टून आर्टिकल 07 व 08 हैं। आर्टिकल 07 कार्टून पर चस्पा चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 44 है व आर्टिकल 08 कार्टून पर चस्पा चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 45 है। आर्टिकल 07 व 08 कार्टून में कुल 58 तरह की औषधियां मौजूद हैं। **अपनी जिरह** में कथन किया है कि शिकायत हरीश जांगिड़ द्वारा की गई थी , जो शिकायत उसे प्राप्त नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि हरीश जांगिड़ द्वारा की गई शिकायत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जिस मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई, उसके आस–पास अन्य कोई मेडिकल स्टोर नहीं था. उसके पास अन्य किस–किस चीज की दुकानें थी. उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी 18 उसे 27.08.2020 को ही मिला था. जो बाई हैंड मिली थी, किसी डाक के जरिए नहीं मिली थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 17 में दिनांक में कटिंग है, अज खुद कहा कि पृष्ठांकन दिनांक में कोई कटिंग नहीं है। प्रदर्श पी 19 पर जो मोहर लगी है, वह एडीसी ऑफिस में रहती है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 19 दिनांक 09.09.2020 को जारी किया हुआ है, जो जितेन्द्र कुमार मीणा को दिनांक 11. 09.2020 को प्राप्त हुआ है। मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 उसकी कलमी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 पर एम से एन स्थान की लाईन में अन्य लाईनों के समान स्पेश नहीं है। यह कहना गलत है कि यह एम से एन

स्थान की लाईन उसके द्वारा बाद में लिखी गई हो। यह कहना सही है कि डाले गये प्रदर्श की फर्दात में पेज क्रमांक अलग–अलग अंकित हैं व प्रत्येक पृष्ठ पर दो–दो पेज क्रमांक डाले हुए हैं, अज खुद कहा कि चार्ज स्थानान्तरण के वक्त एक बार पेज नम्बर लगाये गये थे और दूसरे इस्तगासे के पेज नम्बर हैं। यह कहना सही है कि बार्ज स्थानान्तरण के समय पेज क्रमांक डालने का अंकन फर्दात पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 पर ओ से पी स्थान पर मांगे जाने पर लाईन के बीच में लिखी गई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 मौका रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 पर अभियुक्त कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक व महिना में कटिंग है। यह कहना सही है कि मौके से जब्तशुदा औषधियां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देने योग्य थी, अज खुद कहा कि केवल लाईसेंसधारी व्यक्ति द्वारा ही देने योग्य थी। उनके ऑफिस में पूरे जिले के लाईसेंसधारी व्यक्तियों की सूची होती है। यह कहना सही है कि उक्त सूची पत्रावली पर पेश नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 25 प्रिंटेड बिल नहीं है व एक सफेद कागज पर बनाया हुआ है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 25 में दवाओं के नाम अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 25 पर अभियुक्त कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर हिंदी में है। 960 रूपयों का भुगतान मेरे द्वारा किया गया था। यह कहना सही है कि उक्त 960 रूपये विभाग से वापिस प्राप्त करने का कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 34, 35 व 36 में सैम्पल लेने वाले का रिसिविंग का क्रमांक अंकित नहीं है। उक्त मेडिकल स्टोर वाली दुकान मेघराज की थी। मेरे द्वारा मेघराज से पूछताछ नहीं की थी। मेरे द्वारा दुकान का किरायानामा मांगा गया था, लेकिन अभियुक्त द्वारा मौके पर पेश नहीं किया गया। कार्यवाही के समय मौके पर करीब 1–2 व्यक्ति आस–पास से आये थे, जिनके नाम मुझे याद नहीं। यह कहना सही है कि मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 पर उन लोगों के गवाह के रूप में हस्ताक्षर नहीं है, अज खुद कहा कि वे तैयार नहीं हुए। यह कहना सही है कि आर्टिकल 7 व 8 में कुल 58 प्रकार की दवाईयां थी. जिन सभी दवाईयों के सैम्पल नहीं लिए गए थे। मेरे द्वारा कार्यवाही हेतु एसडीएम साहब को सूचित नहीं किया गया था। हम मौके पर दोपहर करीब 12 बजे पंहुंचे थे और करीब 5 घण्टे का समय कार्यवाही में लगा था। हम मौके पर मेरे रिश्तेदार के निजी वाहन से गये थे, जिसके नम्बर उसे आज याद नहीं है। मेरे द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई थी। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर पड़ौसियान में रामदेव व मेघराज के मकानात थे। यह कहना सही है कि मैंने उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैंने प्राईवेट अस्पताल व दवाई माफियाओं से मिलकर यह गलत कार्यवाही की हो।

(10) पी.डब्ल्यू. 3 अमित कुमार शर्मा ने कथन किया है कि वह दिनांक दिनांक 10.09.2020 को औधषि नियंत्रण अधिकारी, चूरू के पर्द पदस्थापित था। उस रोज वह, श्री सन्द्रकांत शर्मा औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर ऐश्वर्य चौधरी, शिकायतकर्ता हरीश कुमार जांगिड की शिकायत के सम्बन्ध में सहायक

औषधि नियंत्रक चूरू व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चूरू के आदेश से सुबेदार जी का कुजा सरदारशहर गये थे। यहाँ पहुँचकर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर उसकै द्वारा बताये गाँ स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक मेडिकल स्टोर संचालित पाया गया। जाँच दल में वहीं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व आने का उद्देश्य बताया। वहीं उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम कृष्ण कुमार होना बताया। मेडिकल स्टोर परिसर में ऐलोपैथिक औषधियों का विक्रयार्थ भण्डारण पाया गया। कृष्ण कुमार से जाँच दल द्वारा ऐलोपैथिक औषधियों के भण्डारण के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।निरीक्षण रिपोर्ट व मौका नक्शा बनाया गया, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 208। फॉर्म 16 प्रदर्श पी 21 हैं। फॉर्म 17 प्रदर्श पी 22. 23 व 24 हैं। आर्टिकल 01 से 08 पर चस्पा चिट चस्तख्ती प्रदर्श पी 35 से 45 पर हैं। अपनी **जिरह** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि शिकायतकर्ता करा शिकायत उसके समक्ष नहीं की गई थी। यह कहना सही हैं कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्रावली पर पेश नहीं है। अभियुक्त कृष्ण कुमार का मौके पर आधार कार्ड देखा गया था. जिसके नम्बर उसे याद नहीं है, उसका पता क्या था, उसे याद नहीं, पिता का नाम रामेश्वरलाल था। प्रदर्श पी 20 के समय गौके पर उपस्थित 4–5 व्यक्तियों को गवाह बनने के लिए कहा गया था. लेकिन उन्होनें मना कर दिया। उक्त 4–5 व्यक्तियों के नाम उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 के मौके के पड़ौसियान रामदेव व मेघराज को मौके पर नहीं बुलाया। मौके से पुलिस को सूचित किया गया या नहीं, उसे याद नहीं। मौके से एसडीएम को सूचित नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि जब्तशुदा दवाईयां विकय योग्य थी अवैध नहीं थी। अज खुद कहा कि बिल नहीं होने से अवैध ही मानी जाती हैं। यह कहना सही है कि उसके द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार से लिखित में नोटिस देकर लाईसेंस वगैरह की माँग नहीं की गई। उक्त दुकान कृष्ण कुमार ने मेघराज से किराये पर लेना बताया था, जिसका उसने किरायानामा प्रस्तुत नहीं किया था। मेघराज जी से उसके द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई थी। हम कुल तीन लोग मौके पर गये थे। वह मौके पर चन्द्रकान्त शर्मा के साथ प्राईवेट गाडी में गया था, जो गाड़ी चन्द्रकान्त जी लेकर आये थे। उक्त दुकान के आस–पास और कितनी दुकानें थी, उसे याद नहीं। यह कहना सही है कि आर्टिकल 7 व 8 में कुल 58 दवाईयां थी, जिन सभी दवाईयों के सैम्पल नहीं लिए गए थे। यह कहना सही है कि जब्तशुदा दवाईयां डॉक्टर की स्लीप पर बिकी योग्य हैं।

(11) पी.डब्ल्यू. 4 हरिश कुमार जाँगिड़ ने कथन किया है कि दिनांक 09.07.2019 को उसने लिखित में शिकायत औषधि अनुज्ञा कार्यालय चूरू को भेजी थी, जो शिकायत विकास मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के पास दुस्स लाईसेंस नहीं होने बाबत् भेजी थी। फिर दिनाक 10.09.2020 को औषधि विभाग से चन्द्रकांत जी आगे और उनके साथ डॉक्टर ऐश्वर्या भी थी व एक अन्य भी था। फिर वह उनके साथ मौके पर गया जहाँ मेडिकल स्टोर पर उन्होने जाँच कार्यवाही की और सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात वहाँ उसके कागजों पर हस्ताक्षर करवाये

थे। उसके समस्त कार्टून, लिफाफे आदी सील मोहर कर पैक किए थे, जिन पर भी उसने हस्ताक्षर किए थे। जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है। फॉर्म 16 प्रदर्श पी 21 है। फॉर्म 17 प्रदर्श पी 22. 23 व 24 हैं। अपनी **जिरह** में कथन किया है कि उसने शिकायत लिखित या टाईप में की थी, यह ज्यादा समय होने से उसे याद नहीं। यह कहना सही है कि उसके द्वारा जो शिकायत भेजी गई थी. वो पत्रत्वली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्त कृष्ण कुमार की दुकान पहले उसके सामने थी और बाद में उसने अपनी दुकान को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया था। यह कहना सही है कि अभियुक्त कृष्ण कुमार के साथ उसकी पहले व्यापारिक प्रतिस्पर्दा थी, अज खुद कहा कि उसकी दुकान पहले उसकी दुकान के सामने थी, इस कारण उससे उसकी प्रतिस्पर्दा रहती थी। कृष्ण कुमार की दुकान का मालिक बेगराज है। उसे ध्यान नहीं है कि उस वक्त कुल कितनी दवाईयां जब्त की गई थी। यह कहना सही है कि उनकी मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण का अधिकार उस वक्त औषधि निरीक्षक को ही था। औषधि विभाग की ओर से नियम यह है कि हर 6 माह में दुकान का निरीक्षण किया जाना चाहिए, परन्तु औषधि विभाग के अधिकारीयों द्वारा उसकी दुकान का अंतिम बार निरीक्षण करीब ढाई साल पहले किया गया था। उसकी दुकान का ढाई साल पहले निरीक्षण करने के समय अभियुक्त कृष्ण कुमार की उक्त मेडिकल दुकान भी उसकी दुकान से थोड़ा आगे ही थी। उस वक्त कृष्ण कुमार की दुकान का निरीक्षण भी किया गया या नहीं, यह उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि विभाग द्वारा लिखापढ़ी ही कार्यवाही विभाग में की गई हो, अज खुद कहा कि कृष्ण कुमार की उक्त मेडिकल दुकान पर ही कार्यवाही की थी।

(12) पी.डब्ल्यू. 5 डॉक्टर ऐश्वर्य ने कथन किया है कि दिनांक 10–09–2020 को वह चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर में पदस्थापित थी। उस रोज वह श्री चन्द्रकांत शर्मा औष नियंत्रण अधिकारी चूरू व श्री अमित कुमार शर्मा औषधि नियंत्रण अधिकारी , चूरू के साथ शिकायतकर्ता हरीश कुमार जांगिड़ की शिकायत के क्रम में सुबेदार जी का कुँआ सरदारशहर गई थी। वहां पंहुचकर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर, उसके द्वारा बताये गये स्थ पर पहुँचे, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालित पाया गया। चे जांच दल ने वहाँ उपस्थिति व्यक्ति को अपना परिचय दिया व आने का उद्देश्य बताकर उससे नाम पता पूछा, जि पर उसने अपना नाम कृष्ण कुमार होना बताया। मेडिकल स्टोर परिसर में ऐलोपैथि औषधियों का विक्रयार्थ भण्डारण पाया गया। कृष्ण कुमार से जांच दल द्वारा ऐलोपैथि औषधियों के भण्डारण के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर उसके द्वारा दस्तावेज नहीं किए गए।मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट व मौका नक्शा श्री चन्द्रकान्त शर्मा औष नियंत्रण अधिकारी द्वारा बनाया गया, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है। फॉर्म 16 प्रदर्श पी 21 है। फॉर्म 17 प्रदर्श पी 22, 23 व 24 हैं। अपनी **जिरह** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत उसके समक्ष व उसके सामने नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्रावली पर नहीं है।

यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 के मौके के पड़ौसियान के हस्ताक्षर प्रदपी 20 पर नहीं करवाये गये। मौके से पुलिस को सुचित किया गया हो, तो उसे ध्यान नहीं। जब्तशुदा औषधियों के बारे में औषधि नियंत्रण अधिकारी ही बता सकते हैं, उसे पता नहीं।

(13) बहस अन्तिम सुनी गई।

(14) अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक से तर्क दिया गया कि दिनांक 10.09.2020 को औषधि नियंत्रण विभाग की टीम द्वारा विधिवत निरीक्षण किया गया, जिसमें अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा संचालित परिसर में विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक औषधियां विक्रयार्थ संग्रहित एवं प्रदर्शित पाई गई। निरीक्षण के समय अभियुक्त से औषधि अनुज्ञा पत्र एवं औषधियों के क्रय–विक्रय बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर नियमानुसार औषधियों के नमूने लेकर सीलबन्द किये गये तथा अन्य औषधियों को जब्त किया गया, जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट, जब्ती मेमो एवं फॉर्म–17 जैसे दस्तावेजों से होती है। लिये गये नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अभियुक्त को नोटिस देकर औषधियों के स्रोत के सम्बन्ध में सूचना देने का अवसर दिया गया, किन्तु उसने कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन के अनुसार उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र के औषधियों का भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन है, अतः अभियुक्त को विधि अनुसार दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(15) अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अनेक तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन के अनुसार निरीक्षण की कार्यवाही सूबेदार जी के कुएँ के पास, बीकानेर रोड के निकट, सरदारशहर स्थित दुकान पर की गई बताई गई है, जबकि परिवाद में कार्यवाही का स्थान ग्राम आसपालसर मुगलेरा, तहसील सरदारशहर स्थित परिसर, अंकित किया गया है, जिससे स्थान के सम्बन्ध में स्पष्ट विरोधाभास उत्पन्न होता है और अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। यह भी तर्क किया गया कि पी.डब्ल्यू.1 मनोज कुमार गढ़वाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अभियुक्त को नोटिस मोबाइल के माध्यम से नहीं भेजा गया, जबकि अभियुक्त का मोबाइल नम्बर उनके पास उपलब्ध था, जिससे अभियोजन की कार्यवाही की गंभीरता पर प्रश्न उठता है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उक्त दुकान वास्तव में अभियुक्त कृष्ण कुमार की मेडिकल स्टोर थी अथवा वह उसका प्रोपराइटर था क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया गया कि उक्त दुकान मेडिकल स्टोर के रूप में ही संचालित हो रही थी, बल्कि बचाव पक्ष के अनुसार वह सामान्य जनरल स्टोर भी हो सकती थी। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि मौके से लिये गये औषधियों के नमूनों की सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि नमूने किसकी कस्टडी में रहे तथा उनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की गई। साथ ही कार्यवाही के दौरान तैयार किये गये विभिन्न दस्तावेजों में कटिंग एवं संशोधन पाए जाने की बात भी जिरह में सामने आई है, जिससे उन दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर भी सन्देह उत्पन्न होता है। अतः बचाव पक्ष ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सन्देह से परे नहीं होना बताते हुए अभियुक्त को सन्देह का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

(16) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या–एक पर न्यायालय का विवेचन एवं विश्लेषणः–</u>

(17) अभियोजन का आरोप यह है कि दिनांक 10.09.2020 को सरदारशहर क्षेत्र में स्थित एक परिसर में निरीक्षण कर यह पाया गया कि अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा बिना वैध औषधि अनुज्ञा पत्र के एलोपैथिक औषधियों का भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा था। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.1 मनोज कुमार गढ़वाल, पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा, पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू.4 हरिश कुमार जांगिड़ तथा पी.डब्ल्यू.5 डॉ. ऐश्वर्या चौधरी को परीक्षित कराया गया है तथा विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवाद में वर्णित स्थान तथा गवाहों की साक्ष्य में बताए गए स्थान में भिन्नता है, जिससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है। परिवाद का अवलोकन करने पर उसमें निरीक्षण स्थल **ग्राम आसपालसर मुगलेरा, तहसील सरदारशहर** अंकित किया गया है, जबकि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा, पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा तथा पी.डब्ल्यू.5 डॉ. ऐश्वर्या चौधरी ने अपनी साक्ष्य में निरीक्षण स्थल **"बापा सेवा सदन स्कूल के पास, बीकानेर रोड के नजदीक, सुबेदार कुएँ के पास, सरदारशहर"** बताया है। इस तर्क के परीक्षण हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी–20 जाँच रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) में भी निरीक्षण स्थल स्पष्ट रूप से **"बापा सेवा सदन स्कूल के पास, बीकानेर रोड के नजदीक, सुबेदार कुएँ के पास, सरदारशहर"** अंकित है तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य में भी यही स्थान अंकित है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभियोजन गवाहों की मौखिक साक्ष्य से निरीक्षण स्थल के सम्बन्ध में पर्याप्त सामंजस्य स्थापित होता है और ऐसा कोई ठोस विरोधाभास परिलक्षित नहीं होता जिससे अभियोजन की

कहानी अविश्वसनीय ठहराई जा सके। अतः स्थान के सम्बन्ध में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

(18) जहाँ तक परिसर के **स्वामित्व** का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिस दुकान पर कार्यवाही की गई वह **मेघराज** नामक व्यक्ति की थी तथा अभियुक्त ने उसे किराये पर लेना बताया था। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उक्त दुकान मेघराज से किराये पर लेना बताया था। इस प्रकार अभियोजन गवाहों के कथनों से ही यह स्पष्ट होता है कि उक्त परिसर का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति मेघराज के पास बताया गया है। किन्तु अभियोजन द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन ने न तो कथित स्वामी मेघराज को न्यायालय में गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है और न ही उसका कोई कथन अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। यदि वास्तव में उक्त परिसर मेघराज का था और अभियुक्त ने उसे किराये पर लेकर संचालित किया था तो अभियोजन का यह दायित्व था कि वह उक्त व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता कि उसने उक्त परिसर अभियुक्त को किराये पर दिया था। इस प्रकार के साक्ष्य के अभाव में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उक्त परिसर वास्तव में अभियुक्त के कब्जे अथवा नियंत्रण में था। इसी प्रकार पत्रावली पर ऐसा कोई **किरायानामा** अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्थापित हो सके कि उक्त परिसर वास्तव में अभियुक्त के कब्जे में था। अभियोजन गवाहों ने केवल इतना कहा है कि अभियुक्त ने मौके पर यह बताया कि उसने दुकान किराये पर ली हुई है, किन्तु इस कथन का कोई स्वतन्त्र पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। मात्र इस प्रकार के कथन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उक्त परिसर वास्तव में अभियुक्त के कब्जे में था। अभियोजन यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित करने में असफल रहा है कि जिस परिसर में कार्यवाही की गई वह वास्तव में किसी विशिष्ट नाम से संचालित मेडिकल स्टोर था। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त दुकान किस नाम से संचालित हो रही थी। सामान्यतः किसी मेडिकल स्टोर का नाम अथवा बोर्ड होता है जिससे उसकी पहचान होती है, किन्तु अभियोजन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि उक्त परिसर का स्वरूप क्या था और अभियुक्त का उससे क्या सम्बन्ध था।

(19) अभियोजन की कहानी का आधार **शिकायत** को बताया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा, पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा तथा पी.डब्ल्यू.4 हरिश कुमार जांगिड़ के कथनों से यह तथ्य सामने आता है कि दिनांक 10.09.2020 को की गई निरीक्षण कार्यवाही शिकायतकर्ता हरिश

कुमार जांगिड़ की शिकायत के आधार पर की गई थी। पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि शिकायत के सम्बन्ध में जाँच हेतु वे निरीक्षण दल के साथ मौके पर पहुँचे थे तथा पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा ने भी अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि वे शिकायतकर्ता हरिश कुमार जांगिड़ की शिकायत के सम्बन्ध में जाँच करने गए थे। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.4 हरिश कुमार जांगिड़ ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने औषधि अनुज्ञा कार्यालय, चूरू को लिखित शिकायत भेजी थी कि अभियुक्त द्वारा बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है। किन्तु इन गवाहों की जिरह से यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि उक्त शिकायत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा तथा पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा ने जिरह में स्वीकार किया है कि शिकायत की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पी.डब्ल्यू.4 हरिश कुमार जांगिड़ ने भी जिरह में यह कहा है कि उसने शिकायत लिखित अथवा टाइप में की थी, परन्तु वह यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कि वह शिकायत पत्रावली पर प्रस्तुत है या नहीं। इस प्रकार जिस शिकायत को आधार बनाकर संपूर्ण निरीक्षण एवं जब्ती की कार्यवाही किए जाने का दावा किया गया है, वही शिकायत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जब किसी कार्यवाही का आधार ही शिकायत बताई गई हो और वही शिकायत अभिलेख पर उपलब्ध न हो, तब अभियोजन की कहानी की सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण स्वाभाविक रूप से अधिक सावधानी से किया जाना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू.4 हरिश कुमार जांगिड़ ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी दुकान पहले अभियुक्त कृष्ण कुमार की दुकान के सामने थी तथा दोनों के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी मेडिकल दुकान अभियुक्त की दुकान के सामने ही थी और बाद में उसने अपनी दुकान थोड़ी आगे स्थानांतरित कर ली थी। इस प्रकार शिकायतकर्ता और अभियुक्त के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध होना भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिसे उसके कथन की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शिकायतकर्ता स्वयं उसी प्रकार के व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्ति है और उसका अभियुक्त के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध होना एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिसे उसके कथन की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उसके कथन को स्वतः ही पूर्णतः निष्पक्ष एवं निर्विवाद नहीं माना जा सकता बल्कि उसके कथन का परीक्षण अन्य स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य के साथ किया जाना अपेक्षित होता है।

(20) अभियोजन गवाहों की जिरह से यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि निरीक्षण कार्यवाही के दौरान किसी **स्वतन्त्र स्थानीय** व्यक्ति को गवाह के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा ने जिरह में स्वीकार किया है कि कार्यवाही के समय आसपास के कुछ व्यक्ति वहाँ आए थे, किन्तु

उनके नाम उसे याद नहीं हैं तथा उनके हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर नहीं करवाए गए। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.3 अमित कुमार शर्मा ने भी जिरह में कहा है कि मौके पर कुछ व्यक्तियों से गवाह बनने के लिए कहा गया था किन्तु उन्होंने मना कर दिया और उनके नाम उसे ध्यान नहीं हैं। जिरह से यह भी स्पष्ट है कि निरीक्षण स्थल के समीप अन्य मकान एवं प्रतिष्ठान स्थित थे तथा पड़ोस में रामदेव और मेघराज के मकान भी थे, किन्तु उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई और न ही उन्हें गवाह के रूप में सम्मिलित किया गया। सामान्यतः जब किसी स्थान पर निरीक्षण एवं जब्ती की कार्यवाही की जाती है, तब आसपास के किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को गवाह के रूप में सम्मिलित किया जाना कार्यवाही की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को पुष्ट करता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।

(21) अभियोजन के अनुसार मौके से कुल 58 प्रकार की औषधियां जब्त की गई थीं, किन्तु साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इन सभी औषधियों के नमूने नहीं लिये गये बल्कि केवल तीन औषधियों के नमूने लिये गये। शेष औषधियों के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई परीक्षण रिपोर्ट अथवा विशिष्ट विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार इतनी अधिक संख्या में औषधियों के जब्त होने के बावजूद सीमित नमूने लिये जाने से कार्यवाही की पूर्णता एवं पारदर्शिता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। साक्ष्य के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि निरीक्षण कार्यवाही के दौरान तैयार किये गये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कटिंग एवं संशोधन की बात जिरह में सामने आई है। पी.डब्ल्यू.2 चन्द्रकान्त शर्मा ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–20 मौका रिपोर्ट के कुछ स्थानों पर लिखावट के मध्य पंक्तियाँ जोड़ी गई हैं तथा कुछ स्थानों पर कटिंग भी पाई जाती है। जब महत्वपूर्ण दस्तावेजों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ पाई गई हैं और उनके सम्बन्ध में संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं होता, तब ऐसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता का परीक्षण सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक हो जाता है।

(22) उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों जैसे – शिकायत का अभिलेख पर उपलब्ध न होना, शिकायतकर्ता का अभियुक्त के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध होना, स्वतन्त्र गवाहों का अभाव, पड़ोसियों से पूछताछ न किया जाना, जब्त की गई औषधियों के सम्बन्ध में सीमित नमूने लिये जाना तथा दस्तावेजों में कटिंग एवं संशोधन पाया जाना, को समग्र रूप से देखने पर अभियोजन की कहानी पूर्णतः निर्विवाद एवं सन्देह से परे स्थापित नहीं होती है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को सन्देह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए जाते।

(23) अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक अभियोजन के विरूद्ध एवं अभियुक्त के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – दो</u>

(24) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के विवेचनाधीन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 18 सी सपठित 27(B)(II), 18 ए सपठित 28 तथा 22(1)(cca) सपठित 22(3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण दोषमुक्ति का पात्र है।

–: <u>आ दे श</u> :–

(25) अतः अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 50 वर्ष निवासी आसपालसर मुगलेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू को धारा 18 सी सपठित 27(B)(II), 18 ए सपठित 28 तथा 22(1)(cca) सपठित 22(3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

(26) अभियुक्त इस मामले में न्यायालय जमानत पर है जिनके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत मालखाना या सम्बन्धित थाना में यदि जमा हो तो उनका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलकें धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश)
चूरू (राजस्थान)

(27) निर्णय व आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामलात) (सत्र न्यायाधीश)
चूरू (राजस्थान)